

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नीलकमल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड व अन्य
किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 87/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सर्शत स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का सर्शत स्वीकार किया जाता है कि मौजा लुणदा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 85 की आराजी न. 951 रकबा 0.2900 है। भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पडौसी खातेदारों को सूचित कर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भगवान गणेश अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।